

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
<p>25/11/23</p>	<p>पत्रावली पेश हुइ अभिभाषक समय पत्र सपस्थित है। आज श्रमा उपरुण्ड अधिकारी राज् कार्यपत्र बाहर दोरे में तराफिक रखते है। श्रम कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकमण कन्डोलेन्स पर है। अतः श्रमली साधिके का पत्रावली हेतु दिनांक 25/11/23 को पेश हो</p>
<p>20/12/23</p>	<p>पत्रावली पेश हुइ अभिभाषक समय पत्र सपस्थित है। आज श्रमा उपरुण्ड अधिकारी राज् कार्यपत्र बाहर दोरे में तराफिक रखते है। श्रम कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकमण कन्डोलेन्स पर है। अतः श्रमली साधिके का पत्रावली हेतु दिनांक 20/12/23 को पेश हो</p>
<p>19/1/24</p>	<p>पत्रावली पेश हुइ वकील वाडी 34 न वकील वाडी द्वारा लीडेश आ. बाबूलाल के शपथ पत्र पेश किमा जो शां मि. किमा 31211 न बहम वकील वाडी सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दि. 23/1/24 को पेश हो</p>
<p>23/1/24</p>	<p>पत्रावली पेश हुइ वकील वाडी 34 न पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुइ है निर्णय पृथक से लिखाया जाक शां मि. किमा 31211 न वाड वाडी एवीका 3 (निर्णय पुले न्यायालय सुनाया 31211 न पत्रावली फैसल सुना होक नभर से कम हो वास ताकील वकील किमकागुमा दाखिल शमा हो</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं०
68/दावा/2023

तारीख दायर
10/07/2023

तारीख फैसला
23.01.2024

1. बाबूलाल पुत्र सरदारमल मृतक जय वारिसान
- 1/1. लोकेश आ० बाबूलाल आयु व्यस्क
- 1/2. मन्जू पुत्री बाबूलाल आयु व्यस्क
- 1/3. अन्जना पुत्री बाबूलाल आयु व्यस्क
- 1/4. चन्दादेवी पत्नी स्व० बाबूलाल आयु व्यस्क जाति महाजन निवासी ग्राम डाबी तह० तालेडा जिला बून्दी हाल निवासी बैंगू जिला चित्तोडगढ (राज.)

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जय तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज०)
2. सन्जू पत्नी कुलदीप आयु व्यस्क
3. विकिल सुराणा पुत्र कुलदीप आयु व्यस्क
4. हर्ष पुत्र कुलदीप आयु व्यस्क समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम डाबी तह० तालेडा हाल निवासी कोटा

...

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिमाषक

अधिवक्तावादी:- श्री वृजमोहन गौतम

अधिवक्ता प्रतिवादी:- श्री राजकुमार गौतम व पेटोकार सरकार

- : : निर्णय : : -

वाद अन्तर्गत धारा- 88,89 आर.टी.एक्ट

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन सलाहकार समिति मुकाम बून्दी आवंटन जिलाधीश बून्दी के द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 के पूर्वज बाबूलाल पुत्र सरदारमल महाजन को आराजी खसरा सं० 1655/862 रकबा 0.1619 हैक्टे०, ख०सं० 1859/1758 रकबा 1.9991 हैक्टे०, ख०सं० 1950/1758 रकबा 0.1133 हैक्टे० कुल किता 3 रकबा 2.2743 हैक्टे० वाके ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी जिसके गत खसरा नम्बर 862/1 रकबा 1 बीघा व ख०सं० 1150/1328 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा रहे है का आवंटन दिनांक 23.10.1977 को मुकाम बून्दी में किया गया। उक्त आवंटन विधिवत रूप से आवंटन समिति द्वारा नियमानुसार किया गया था। आवंटनशुदा आराजीयात् बावत कब्जा दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 27.10.1977 को पारित किये गये एवं गैरखातेदारी इन्तकाल 259 दिनांक 26.10.1977 को ख०सं० 862 का व नामान्तकरण वसं० 341 दिनांक 15.6.1981 को ख०सं० 1150/1628 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा का वादीगण के पिता व पति एवं पूर्वज बाबूलाल पुत्र सरदारमल के हक में खोला गया। उक्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 के पूर्वज बाबूलाल के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 काबिज कास्त चले आ रहे है। उक्त आराजी विरासतन् गैरखातेदारी का नामान्तकरण सं० 868 दिनांक 20.7.2006 को तस्दीक किया गया एवं तत्पश्चात जिसका अंकन जमाबन्दी संवत 2064 से 2067 में किया गया। किन्तु आवंटन शर्तों की पालना के बावजूद प्रतिवादी सं० 1 द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 को गैरखातेदार से खातेदार दर्ज नहीं किया गया। जबकि अन्य आवंटियों के पक्ष में किये गये आवंटन अनुसार खातेदारी इन्द्राजात् किये जा चुके है। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियमों के अनुसरण में वादीगण व प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात् पर किये गये आवंटन के पश्चात नियमित रूप से काश्त की जा रही है एवं आवंटन नियमों की पूर्णतः पालना की गई है। वादीगण ने वाद विषयक भूमि को गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने के लिए प्रतिवादी सं० 1 को कई बार निवेदन किया गया तथा अन्तिम बार वादीगण ने अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी का दो माह की अवधि का नोटिस प्रतिवादी

रि:मि:व

को दिया गया। किन्तु प्रतिवादी सं० 1 द्वारा वादीगण व प्रतिवादी सं० 2 लगायत 4 के नाम वाद विषयक को गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज नहीं किया गया। वादीगण माननीय न्यायालय से उपरोक्त आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादीगण ने इस आशय की निर्णय और डिक्लीर करी करने का निवेदन किया है कि आराजी ख०सं० 862/1 रकबा 1 बीघा व ख०सं० 1150/1328 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम डाबी (वर्तमान ख०सं० 1655/862 रकबा 0.1619 हैक्टे०, ख०सं० 1859/1758 रकबा 1.9991 हैक्टे०, ख०सं० 1950/1758 रकबा 0.1133 हैक्टे०) कुल किता 3 कुल रकबा 2.2743 हैक्टे० वाके ग्राम डाबी को वादीगण व प्रतिवादी सं० 2 लगायत 4 के पक्ष में गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने की घोषणा फरमाई जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी सं० 2 लगायत 4 ने जयें अभिभाषक जवाब प्रस्तुत करने हुए वाद पत्र की चरण सं० 1 लगायत 12 को स्वीकार करते हुए प्रार्थना वादीगण स्वीकार की गई।

प्रतिवादी सं० 1 ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के सन्दर्भ में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम डाबी में आराजी ख०सं० 1655/862 रकबा 0.1619 हैक्टे०, ख०सं० 1859/1758 रकबा 1.9991 हैक्टे०, ख०सं० 1950/1750 रकबा 0.1133 हैक्टे० कुल किता 3 रकबा 2.2743 हैक्टे० भूमि लोकेश, मंजू अन्नना पिता बाबूलाल हि० 3/5 चन्दादेवी पत्नि बाबूलाल हि० 1/5, हर्ष, विकिल पिता कुलदीप हि० 2/15, संजू पत्नि कुलदीप हि० 1/15 जाति महाजन सा. देह गैरखातेदार दर्ज रेकार्ड है। ख०सं० 1655/862 पर वादीगण का कब्जा नहीं है, ख०सं० 1859/1758 रकबा 1.9991 हैक्टे भूमि के मौके पर पत्थर स्टाक है मौके पर सहमति से रास्ता (पक्की सडक) निकलने से उक्त खसरा 2 भागो में विभक्त हो गया है। उक्त रास्ते की समीपस्थ भूमि पर दुकाने बनी हुई है रोड व दुकान में 0.2440 हैक्टे० भूमि गई है शेष भूमि पर गैरखातेदारान् द्वारा चारदिवारी बनाकर तथा ख०सं० 1950/1758 पर भी चारदिवारी बना कर काबिज है।

वादीगण की ओर से वाद पत्र के समर्थन में लोकेश आ० बाबूलाल ने स्वयं का साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया व नकल जमाबन्दी खाता सं० नया 288 सवत 2076, रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी, आवंटन आदेश दिनांक 26.10.1977 की छायाप्रति, नामान्तरण सं० 259 वाके ग्राम डाबी की छायाप्रति, नामान्तरण सं० 341 वाके ग्राम डाबी की छायाप्रति, जमाबन्दी खाता संख्या नया 289 सम्वत् 2044-47 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 286 सम्वत् 2048-51 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 292 सम्वत् 2052-55 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 294 सम्वत् 2056-59 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 292 सम्वत् 2060-64 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 206 सम्वत् 2064-67 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 203 सम्वत् 2068-71 वाके ग्राम डाबी व जमाबन्दी खाता संख्या नया 288 सम्वत् 2076 वाके ग्राम डाबी की छायाप्रति पेश की गई।

प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 की ओर से नामान्तरण सं० 258 वाके ग्राम डाबी की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी खाता संख्या नया 289 सम्वत् 2044-47 वाके ग्राम डाबी, नकल जमाबन्दी खाता संख्या नया 322 सम्वत् 2039-42 वाके ग्राम डाबी व नामान्तरण सं० 341 दिनांक 15.6.1981 वाके ग्राम डाबी पेश की।

वादीगण की ओर से साक्ष्य में पेश नहीं कर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया गया। परोकार सरकार व प्रतिवादी सं० 2 लगायत 4 की ओर से साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

बहस उपमपक्ष अभिभाषक सूनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादीगण की कृषि भूमि को गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड नकल जमाबन्दी खाता सं० नया 288 सवत 2076, रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी, आवंटन आदेश दिनांक 26.10.1977 की छायाप्रति, नामान्तरण सं० 259 वाके ग्राम डाबी की छायाप्रति, नामान्तरण सं० 341 वाके ग्राम डाबी की छायाप्रति, नकल जमाबन्दी खाता संख्या नया 322 सम्वत् 2039-42 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 289 सम्वत् 2044-47 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 286 सम्वत् 2048-51 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 292 सम्वत् 2052-55 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 294 सम्वत् 2056-59 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 292 सम्वत् 2060-64 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 203 सम्वत् 2064-67 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 203 सम्वत् 2068-71 वाके ग्राम डाबी व जमाबन्दी खाता संख्या नया 288 सम्वत् 2076 वाके ग्राम डाबी का अवलोकन करने से एवं वाद वर्णित तथ्यों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 23.10.1977 को वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 2 लगायत 4 के पूर्वज बाबूलाल आ० सरदारमल महाजन निवासी डाबी को वाके ग्राम डाबी में कृषि भूमि 862/1 रकबा 1 बीघा व ख०सं० 1150/1328 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा का आवंटन हुआ था। जिसके वर्तमान नम्बर खसरा सं० 1655/862 रकबा 0.1619 हैक्टे०, ख०सं० 1859/1758 रकबा 1.9991 हैक्टे०, ख०सं० 1950/1758 रकबा 0.1133 हैक्टे० कुल किता 3 रकबा 2.2743 हैक्टे० वाके ग्राम डाबी है। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में कई भी उक्त आवंटन निरस्त

6.12.20

तालिका जल

बाबत कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया, किन्तु आवंटनशुदा भूमि का वर्तमान में मौका रिपोर्ट अनुसार मान नकल जमाबन्दी खाता संख्या नया 288 सम्वत् 2076 अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 2 लगायत 4 की गैरखातेदारी में खसरा सं० 1655/862 रकबा 0.1619 हैक्टे०, ख०सं० 1859/1758 रकबा 1.9991 हैक्टे०, ख०सं० 1950/1758 रकबा 0.1133 हैक्टे० कुल किता 3 रकबा 2.2743 हैक्टे० वाके ग्राम डाबी अंकित है किन्तु मौके पर उक्त भूमि में से ख०सं० 1655/862 पर वादीगण का कब्जा नहीं है, ख०सं० 1859/1758 रकबा 1.9991 हैक्टे भूमि के मौके पर पत्थर स्टाक है मौके पर सहमति से रास्ता(पक्की सडक) निकलने से उक्त खसरा 2 भागो में विभक्त हो गया है। उक्त रास्ते की समीपस्थ भूमि पर दुकाने बनी हुई है रोड व दुकान में 0.2440 हैक्टे० भूमि गई है शेष भूमि पर गैरखातेदारान् द्वारा चारदिवारी बनाकर तथा ख०सं० 1950/1758 पर भी चारदिवारी बना कर काबिज है। उक्त स्थिति में भूमि ख०सं० 1859/1758 रकबा 1.9991 में से 1.7551 हैक्टे एवं ख०सं० 1950/1758 रकबा 0.1133 हैक्टे० पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 2 लगायत 4 काबिज होने से उक्त रकबा तक ही वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

परिणाम स्वरूप एतद् द्वारा तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 2 लगायत 4 की वादग्रस्त आराजी का आवंटन निरस्त नहीं किया गया हो तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना कर दी हो, उक्त भूमि खनन हेतु प्रस्तावित नहीं हो, उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन न हो तथा आवंटी तथा वर्तमान गैरखातेदारो के विरुद्ध धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही संस्थित नहीं की गई हो व आवंटी मौके पर काबिज काश्त होकर आवंटन की शर्तो की पालना कर रहा हो तो नियमानुसार वादग्रस्त आराजी ख०सं० 1859/1758 रकबा 1.9991 में से 1.7551 हैक्टे एवं ख०सं० 1950/1758 रकबा 0.1133 हैक्टे० वाके ग्राम डाबी पटवार मण्डल डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी को गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही संस्थित करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पुर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

H. Singh
(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपस्वण्ड अधिकारी
तालेडा